37–(08)–137–2013

1, अणे मार्ग स्थित 'विमर्श', पटना में दिनांक–13 अगस्त, 2013 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–योजना अंतर्गत स्थापना एवं अन्य बजट में उपबंधित राशि रू० 84,99,82,000.00 (चौरासी करोड़ नियानवें लाख बेरासी हजार) रूपये मात्र कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह मार्च, 2013 से फरवरी, 2014 तक के लिए वेतन परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा वेतनादि के अलावा मद में सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति।	1.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

2.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–योजना अंतर्गत स्थापना एवं अन्य बजट में उपबन्धित राशि रू० 80,78,50,000.00 (अस्सी करोड़ अठत्तर लाख पचास हजार) रूपये मात्र कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के माह मार्च, 2013 से फरवरी, 2014 तक के लिए वेतन परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा वेतनादि के अलावा मद में सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

3.	वित्तीय वर्ष 2013–14 में लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के अंतर्गत बॉका जिला के कटोरिया प्रखंड के अंतर्गत दरभाषण जलाशय योजना के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि ₹ 3952.24 लाख (उनचालीस करोड़ बावन लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

4.	बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में विभागों को आवंटित कार्यों की सूची में संशोधन करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

कृषि विभाग

5.	कृषि समन्वयक के 4391 सृजित पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली की स्वीकृति की प्रत्याशा में, संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शन संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2401 दिनांक–18.07.2007 की कंडिका–2 (6) के अनुसार नियमित पद के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप संविदा पर नियोजन करने में कठिनाई को देखते हुए, उक्त संकल्प की कंडिका–2 (6) के प्रावधान को शिथिल करते हुए, नवसृजित कृषि समन्वयक के पद पर नियोजन की शर्त्तें तथा अर्हताएँ की स्वीकृति।	5.	स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

6.	बिहार निर्वाचन सेवा संवर्ग के अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०–2, ₹ 9300–34800/– ग्रेड पे ₹4800/– (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹6500–200–10500/–) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, पुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०–3, ₹15600–39100/– ग्रेड पे ₹6600/–(अपुनरीक्षित वेतनमान ₹10000– 325–15200/–) के पद पर प्रोन्नति देने का प्रस्ताव।	6.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

7.	बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 के बाद 159 (क) तथा 159 (ख) का प्रावधान के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

8.	खुदाबख्श ओरिएन्टल पब्लिक लाईब्रेरी, पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–योजना मद से सहायक अनुदान की राशि ₹ 2,00,000/–(दो लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9.	माध्यमिक विद्यालयों से विहीन पंचायतों में 1000 (एक हजार) उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु प्रति विद्यालय ₹ 115.50 लाख (एक करोड़ पन्द्रह लाख पचास हजार) रूपये की दर से कुल ₹ 115500.00 लाख (ग्यारह अरब पचपन करोड़) रूपये की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में 50000.00 लाख (पाँच अरब) रूपये के व्यय की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2013–14 में (विघटित) बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड, पटना के पदाधिकारियों / कर्मचारियों को गैरयोजनान्तर्गत वेतनादि एवं सेवांत लाभ के भुगतान हेतु 6,28,000/–(छः लाख अठाइस हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य में संचालित घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालय तथा अन्य घाटानुदानित सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि–सह–पेंशन – सह–उपादान की सुविधा प्रदान करने हेतु गठित त्रिविध लाभ योजना से संबंधित परिनियम को संशोधित किये जाने की स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

12. श्री श्याम बिहारी सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अतरी, गया (निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

13. "भाग मिल्खा भाग" चलचित्र को मनोरंजन कर से विमुक्त करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

14. भारत सरकार के "इंडिया रिजर्व" (आई०आर०) पैटर्न पर एक अतिरिक्त विशेष आई०आर० बटालियन के सृजन के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

15. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए स्वीकृति केन्द्रांश की राशि ₹ 14.03 करोड़ (चौदह करोड़ तीन लाख रू०) मात्र एवं राज्यांश की राशि ₹ 9.35 करोड़ (नौ करोड़ पैतीस लाख रू०) यानि कुल ₹ 23.38 करोड़ (तेईस करोड़ अड़तीस लाख रू०) स्वीकृत करने तथा योजना का कार्यान्वयन चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

16. बिहार पुलिस में गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) की तकनीकी शाखा के गठन के लिए भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त सैनिकों से 02 जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर एवं 18 एन०सी०ओ० को पाँच वर्षों के लिए अनुबंध पर रखने की स्वीकृति के संबंध में।

16. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

17. पंचदश बिहार विधान सभा का दशम्–सत्र बिहार विधान परिषद् के 174वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिले के अंचल–डुमरबाना में 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु मौजा–डुमरबाना, थाना नं०–138 के विभिन्न खाता एवं खेसरा (परिशिष्ट–I संलग्न) प्रखंड परिसर के लिए अधिग्रहित भूमि में से कुल रकबा–0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) परती कदीम भूमि 12,50,000 रू० (रूपये बारह लाख पचास हजार) सलामी और सलामी का 2 प्रतिशत आवासीय लगान का 25 गुणा रू० 6,25,000 (रूपये छः लाख पचीस हजार) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल रूपये 18,75,000 (रूपये अठारह लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

18. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के पूरक डी०पी०आर० के अन्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिलें के अंचल–पिपरा कोठी में 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु मौजा–वीरछपरा, थाना नं०–186 के खाता नं०–159 खेसरा नं०–163 रकवा–0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) गैर मजरूआ आम भूमि 1,75,000.00 रू० (रूपये एक लाख पचहत्तर हजार) सलामी और सलामी का 2% आवासीय लगान का 25 गुणा रू० 87,500 (रूपये सतासी हजार पाँच सौ) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल रूपये 2,62,500 (रूपये दो लाख बासठ हजार पाँच सौ) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

19. स्वीकृत।